छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर

www.cghb.gov.in

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक....127...../2017 दिनांक 22/05/2017

विषयः- ग्राम जरवाय उर्फ हीरापुर में भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23 अ/82 वर्ष 05-06 न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर करने हेतु।

--- 000 ---

ग्राम जरवाय उर्फ हीरापुर रायपुर के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23 अ/82 वर्ष 05-06 में पारित अवार्ड दिनांक 13.08.2007 के विरुद्ध धारा 18 के तहत् मुआवजा राशि बढाया जाकर माननीय जिला-न्यायालय रायपुर के आदेश दिनांक 31.08.2016 द्वारा मण्डल के विरुद्ध राशि रू. 68395539.00 भूमि स्वामियों को भुगतान करने का आदेश पारित किया गया है। मुख्यालय समिति द्वारा माननीय जिला न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर करने का निर्णय लिया गया है । उक्त की गई कार्यवाही मंडल के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 53वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 04.05.2017 के एजेण्डा क्रमांक 44 पर पारित संकल्प क्रमांक 1550/44/53/05/2017 में संचालक मंडल मुख्यालय समिति के निर्णय अनुसार ग्राम जरवाय उर्फ हीरापुर रायपुर के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23 अ/82 वर्ष 05-06 का अवलोकन कर जिला-न्यायालय आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर करने संबंधी की गई कार्यवाही से अवगत हुआ तथा कार्यवाही की पुष्टि की गई एवं आगामी कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया।

आदेशानुसार

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

पृ.क्र. 1405 /आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-14/2015/17 नया रायपुर, दिनांक 22/05/2017

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. निज सचिव आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।

क्रमशः-02